(9)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 23/2022

फूलचन्द मार्फत अनुपम मेडिकल स्टोर, नवलगढ रोड, सीकर, जिला सीकर, मो0न0 9982404142

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 03.02.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.01.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 23/2022 पर दिनांक 18.01.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/170–71 दिनांक 18.01.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/22/66 दिनांक 20.01.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी फूलचन्द मार्फत अनुपम मेडिकल स्टोर, नवलगढ रोड, सीकर, जिला सीकर का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 06.01.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आरटीआई पोर्टल पर आवेदन कर कागजों को रिकार्ड मे चैक कर न्याय दिलवाने के संबंध मे प्रस्तुत किया था। जिसके संबंध मे आवेदक को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 9 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा सूचित किया जा चुका है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय मे उपस्थित रिकार्ड की सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। कार्यवाही करने का अधिकार सूचना के अधिकार के अन्तर्गत नही आता है। जिसके कारण आवेदन पत्र अस्वीकार कर दफ्तर दाखिल किया जाता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/22/66 दिनांक 20.01.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी फूलचन्द मार्फत अनुपम मेडिकल स्टोर, नवलगढ रोड, सीकर, जिला सीकर का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 06.01.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आरटीआई पोर्टल पर आवेदन कर कागजों को रिकार्ड मे चैक कर न्याय दिलवाने के संबंध मे प्रस्तुत किया था। जिसके संबंध मे आवेदक को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 9 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा सूचित किया जा चुका है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय मे उपस्थित रिकार्ड की सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। कार्यवाही करने का अधिकार सूचना के अधिकार के अन्तर्गत नही आता है। जिसके कारण आवेदन पत्र अस्वीकार कर दफ्तर दाखिल किया जाता है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि [illegible] इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 03.02.2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.02.21 17:09:34 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं